प्रेषक,

एम0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 **लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था लागू किये हेतु धनराशि रू0 922.55 लाख (रूपये नौ करोड बाईस लाख पचपन हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2018-19), दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था लागू किये हेतु राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) में से धनराशि रू0 735.94 लाख (रूपये सात करोड़ पैतीस लाख चौरान्बे हजार मात्र) प्रोजेक्ट मैनेजर तथा 12 डाटाबेस एडमिन की सेवायें| 75750 यूजर्स के लाइसेंस, 35000 डिजिटल सिग्नेचर्स तथा ई-आफिस हेतु यूपीडेस्को के लिए स्टेट डाटा सेंटर में आई0टी0 कम्पोनेन्टस की आवश्कयता के दृष्टिगत रू0 186.61 लाख (रूपये एक करोड़ छियासी लाख ईक्सटठ हजार मात्र) की अर्थात कुल रू0 922.55 लाख (रूपये नौ करोड बाईस लाख पचपन हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स प्रा0 लि0 को निर्धारित की गई धनराशि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा कोषागार से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार संगत नियमों प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त धनराशि का उपयोग शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था के प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान व अपरिहार्य व्ययों का वहन योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबंध निदेशक उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 एवं उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स प्रा0 लि0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक-27 शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था-42अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग के अ0शा0 प0 संख्या-ई-6-778-दस-2018 दिनांक 30-10-2018 में प्राप्त उनकी सहमती से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-17/2018/703(1)/78-2-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
7- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।